क्रम संख्या–125 (ङ) (14) पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2015–17

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 23 नवम्बर, 2017 ई0

अग्रहायण 02, 1939 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग–8

संख्या 975/2017/9(120)/XXVII(8)/2017

देहरादून, 23 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है;

अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 11 की उपधारा (1) सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904(उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8 की अधिसूचना संख्या 530/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में निम्नलिखित अग्रेत्तर संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात् –

(i) उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

(क) क्रम सं. 11क के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"कमीशन या मार्जिन के रूप में किसी प्रतिफल के एवज में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान, मिट्टी का तेल, चीनी, खाद्य तेल आदि की बिक्री के माध्यम से केंद्र सरकार, राज्य सरकार या संघ-राज्य को उचित दर दुकानों के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा।";

(ख) क्रम सं. 11ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

(ग) क्रम सं. 79 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"79क	शीर्ष 9996	प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958 (अधिनियम सं0 24 सन् 1958) के अंतर्गत या किसी राज्य अधिनियम के अंतर्गत घोषित संरक्षित स्मारक में प्रवेश के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं

2. यह अधिसूचना 15 नवंबर, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

आज्ञा से,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.**975/2017/9(120)/XXVII(8)/2017,** dated Dehradun, November 23, 2017 for general information:

No. 975/2017/9(120)/XXVII(8)/2017
Dated Dehradun, November 23, 2017

NOTIFICATION

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017) read with section 21 of Uttar Pradesh General Clause Act, 1904(as applicable to the State of Uttarakhand), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to make the following further amendments in the notification of the Government of Uttarakhand, Finance Section-8, No. 530/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 Dated 29 June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, -

(a) against serial number 11A,for the entry in column (3), the following entry shall be substituted namely: -
"Service provided by Fair Price Shops to Central Government, State Government or Union territory by way of sale of food grains, kerosene, sugar, edible oil, etc. under Public Distribution System against consideration in the form of commission or margin.";

(b) the serial number 11B and the entries relating thereto, shall be omitted;

(c) after serial number 79 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"79A	Heading 9996	Services by way of admission to a protected monument so declared under the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958) or any of the State Acts, for the time being in force	Nil	Nil"

2. This notification shall come into force with effect from 15th of November, 2017.

By Order.

RADHA RATURI,
Principal Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 127 वित्त/843–2017–100+100 (कम्प्यूटर/रीजियो)।